न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 58 / 2021

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. किशोर कुमार पुत्र देवाराम जाति माली निवासी सिवाना पादरू का वास, हाल गांधीपुरा, बालोतरा, बाड़मेर (मैसर्स महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा, बाड़मेर का मालिक)
2. हिम्मत लाल जैन पुत्र शोकल चंद निवासी जिनदत्त वास, राजेन्द्र नगर, जालोर (मैसर्स जैन डेयरी उद्योग, अमिधारा मिल्क प्रोडक्ट, सेल ऑफीस 6,7 जिनदत्त प्लाजा, राजेन्द्र नगर, जालोर का प्रोप्राइटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण दौरान सुनवाई अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की **फर्म मैसर्स महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **27.03.2021** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड अमीधारा (500 एमएल)** जो कि एक कार्टून में 10 किग्रा भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट **घी ब्राण्ड अमीधारा (500 एमएल)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या [illegible] जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्र[illegible] 5([illegible])[illegible]रकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्रा[illegible]मीधारा (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य [illegible] को भिज[illegible]या। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला [illegible]पुर द्वारा उक्त खाद्य [illegible] **घी ब्राण्ड अमीधारा (500 एमएल)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:38:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण ने लिखित जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण उन पर लगाये समस्त आरोपों को लोक अदालत की भावना से स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। यह उनका प्रथम अपराध है लिहाजा उनके विरूद्ध नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **20.04.2021** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। अप्रार्थीगण ने अपने प्रतिरक्षण में जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, की गुणवता व मानकता का सम्पूर्ण दायित्त्व बनता है। अप्रार्थीगण की जुर्म स्वीकारोक्ति से जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **मिथ्याछाप** पाये जाने के तथ्य का अप्रार्थीगण के पास कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर **रूपये 25,000/-** का तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर **रूपये 50,000/-** जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:38:02 IST
Reason: SelfAttested